प्रिंट

न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - लखनऊ, तहसील - मोहनलालगंज
कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025068601
आवेदक का नाम :- अविचल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स क्रिएशन प्रा०लि० द्वारा निदेशक मनीष सिंह
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 15/11/2025

आदेश

प्रार्थी अविचल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स क्रिएशन प्रा0लि0 द्वारा निदेशक मनीष सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी 281 ग्राम गोपालखेडा मजरा पुरसेनी परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि गाटा संख्या-101 रकबा-0.177हे. में से रकबा-0.051हे0, गाटा संख्या-108 रकबा-0.887हे. में से रकबा-0.202हे0 गाटा संख्या-111 रकबा-0.891हे. में से रकबा-0.505हे0 मालगुजारी स्थित ग्राम भट्ठीखेडा परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन आदि कोई कार्य नही किया जा रहा है, आस-पास आवासीय गतिविधिया विद्यमान है। फोटो ग्राफ्स संलग्न है। उक्त भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नही है। अतः उक्त भूमि को धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की

गयी है।

तहसीलदार मोहनलालगंज लखनऊ की उक्त आख्या से संतुष्ट होने के पश्चात् वाद दर्ज रजिस्टर कर '' राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-20.2024/402/एक-2024-1-1099/3514/2020-रा0-1 दिनांक 17.05.2024 के शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित है कि धारा-80 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अनापत्ति हेतु 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है। यदि 30 दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसे डीम्ड टू नो आब्जेक्शन मान कर निस्तारित कर दिया जाएगा'' के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण को नियमानुसार नोटिस जारी की गयी। कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम भट्ठीखेडा की उद्धरण खतौनी वर्ष 1427 से 1432 फसली के खाता संख्या-00027, 00026 प्रति इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क आन लाईन जनरेट निर्धारित शुल्क-17484.00रू/-के सापेक्ष आनलाईन चालान संख्या आर0ए0जे0 250112641 शुल्क 17484.00रू./जमा किया गया।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नही किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन नही हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 11.11.2025 स्वीकार की जाती है। आवेदक अविचल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स क्रिएशन प्रा0लि0 द्वारा निदेशक मनीष सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी 281 ग्राम गोपालखेडा मजरा पुरसेनी परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ के आराजी मौजा ग्राम भट्ठीखेडा की खतौनी वर्ष 1427 से 1432 फसली में स्थित आराजी गाटा संख्या-101 रकबा-0.177हे. में से रकबा-0.051हे0, गाटा संख्या-108 रकबा-0.887हे. में से रकबा-0.202हे0 गाटा संख्या-111 रकबा-0.891हे. में से रकबा-0.505हे0 को आराजी (भूमि) को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) में उल्लिखित शर्तों

के अधीन उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जाता है। इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या पारित आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगें। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, मोहनलालगंज को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी

मोहनलालगंज लखनऊ

Digitally Signed by:
PAWAN PATEL
उपजिलाधिकारी
दिनांक समय: 15-11-2025 01:43:49 PM

प्रिंट

उ० प्र० राजस्व संहिता ,2006 (यथा संशोधित 2016) की धारा 80 के अन्तर्गत घोषणा हेतु आवेदन

[आर सी प्रपत्र 25 , देखें नियम 85 (1)]

कंप्यूटरीकृत आवेदन सं० : T802025068601

समक्ष उप-जिलाधिकारी
तहसील - मोहनलालगंज
जिला - लखनऊ
आवेदन की स्थिति - उपजिलाधिकारी के पास लंबित

भाग -1 (क)

आवेदक भूमिधर का विवरण

1.01	**आवेदक भूमिधर का नाम:**	अविचल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स क्रिएशन प्रा०लि० द्वारा निदेशक मनीष सिंह
1.02	**पिता / पति / संरक्षक का नाम :**	राजेन्द्र प्रताप सिंह
1.03	**आवेदक का पता :**	ग्राम गोपालखेड़ा, मजरा पुरसेनी, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।
1.04	**आवेदक का मोबाइल नम्बर :**	XXXXXX2902

1.05	**क्या धारा 80(1)के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित भूमि का सम्मिलित खाता है ?**	हाँ
1.06	**यदि सम्मिलित खाता है तो क्या सभी सह-खातेदारों की सहमति के व्यक्तिगत शपथ - पत्र प्राप्त हैं ?**	हाँ
1.07	**क्या सभी सह-खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित नज़री नक्शा प्राप्त हैं ?**	हाँ
1.08	**आवेदक द्वारा प्रस्तावित गाटे पर किया जा रहा गैर कृषिक उपयोग |**	आवासीय

भाग -2 (क)

गैर - कृषिक उपयोग हेतु घोषणा के लिए प्रस्तावित गाटे / गाटों का विवरण

2.01	**जिला:**	लखनऊ
2.02	**तहसील:**	मोहनलालगंज
2.07	**खाते में सम्मिलित गाटों की संख्या जिनके सम्बन्ध में घोषणा प्रस्तावित है**	3

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम	खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटे का यूनीक कोड	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे०)	हिस्सा क्षेत्रफल (हे०)	क्या गाटे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की घोषणा होनी है अथवा उसके किसी भाग की। (पूर्ण / आंशिक)	गाटे का क्षेत्रफल जिसको गैर कृषिक घोषित किया जाना है (हे०)	वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट (रुपये प्रति हे०)	गैर कृषिक घोषणा हेतु शुल्क (1 प्रतिशत) जो जमा किया जाना अपेक्षित है (रूपये)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**11**
1	भददी खेड़ा	00027	101	1437380101000012	0.1770	0.0510	सम्पूर्ण	0.0510	आवासीय	2300000.00	1173.00
2	भददी खेड़ा	00027	108	1437380108000012	0.8870	0.4580		0.2020	आवासीय	2300000.00	4646.00
3	भददी खेड़ा	00026	111	1437380111000012	0.8910	0.8910		0.5050	आवासीय	2300000.00	11615.00
न्यायलय फीस											**50**
कुल फीस											**17484**

भाग -3 (क)

सह-खातेदारों का विवरण

भाग -4 (क)

घोषणा की जाने वाली भूमि की विधिक स्थिति

4.01	**क्या उदघोषणा जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के किसी भी राजस्व न्यायालय में किसी धारा के अन्तर्गत कोई वाद विचाराधीन है ?**	नहीं
	यदि हाँ तो वाद की कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या	--
4.02	**क्या प्रस्तावित गाटे / गाटों के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द० प्र० सं० के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित हुआ था ?**	नहीं
	न्यायालय का नाम :	--
	वाद संख्या :	--

	क्या सक्षम न्यायलय द्वारा पारित कोई आदेश / निषेधाज्ञा वर्तमान में प्रभावी है ?	नहीं
	आदेश का दिनांक :	--
4.03	क्या प्रस्तावित गाटे / गाटों के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द० प्र० सं० के अन्तर्गत कोई वाद वर्तमान में प्रचलित है ?	नहीं
	न्यायालय का नाम :	--
	वाद संख्या :	--
	क्या सक्षम न्यायलय द्वारा पारित कोई आदेश / निषेधाज्ञा वर्तमान में प्रभावी है ?	नहीं
	आदेश का दिनांक :	--
4.04	क्या धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे / गाटों की अवस्थिति किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना/ टाउनशिप/औद्योगिक प्राधिकरण के अन्तर्गत है ?	नहीं
	यदि हाँ तो घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे / गाटों का उस घोषित महायोजना/टाउनशिप/औद्योगिक प्राधिकरण में प्रस्तावित प्रयोजन अथवा भू-उपयोग क्या है ?	--
	क्या घोषणा किये जाने वाले गाटा / गाटों का प्रस्तावित उपयोग घोषित महायोजना महायोजना/टाउनशिप/औद्योगिक प्राधिकरण के अनुरूप है ?	--
	वर्तमान में उपयोग क्या है ?	--

भाग -5

आवेदन पत्र के संलग्नक

1	अपडेटेड खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि
2	सभी सह-खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित नज़री नक्शा (चौहद्दी सहित)
3	अपडेटेड खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि
4	सभी सह-खातेदारों की सहमती का व्यक्तिगत शपथ -पत्र
5	कलेक्टर द्वारा निर्धारित अद्यतन सर्किल रेट का दस्तावेज

शुल्क भुगतान स्थिति

भुगतान स्थिति (Paid Status) :	--	धनराशि :	--
बैंक रिफरेन्स संख्या :	--	चालान सँख्या :	--
भुगतान तिथि :	--		

घोषणा: मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त प्रविष्टियां सही हैं, एवं मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है |

दिनांक : 06/10/2025

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
नाम - अविचल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स क्रिएशन प्रा०लि० द्वारा निदेशक मनीष सिंह
मोबाइल न० - 8808142902

10 रु. COURT FEE Rs.10
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES
Cancelled

न्यायालय उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज लखनऊ

नकल आदेश दिनांक–11.12.2025 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–टी802025077931 आवेदक का नाम–अनिल कुमार सिंह चौहान, अन्तर्गत धारा–80 अधिनियम उ0प्र0 राजस्व सहिंता 2006 ग्राम–भद्दीखेड़ा, तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ। निर्णीत दिनांक–11.12.2025

प्रयोगोपरान्त फोलियो निरस्त किया जाता है। फोटोकापी संलग्न है।

1130
20/2/26

उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज
लखनऊ

न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - लखनऊ, तहसील - मोहनलालगंज

कम्प्यूटरीकृत संख्या :- 1802025077931

आवेदक का नाम :- अनिल कुमार सिंह चौहान

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश पत्रक

ग्राम भद्दीखेडा

निर्णय

प्रार्थी अनिल कुमार सिंह चौहान पुत्र सूबेदार सिंह निवासी बी 17 सेक्टर जी अलीगंज लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ
के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारुप पर जांच आख्या पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि
खाता संख्या–00040 पर अंकित गाटा संख्या–117 रकबा–0.4770हे. में से रकबा–0.2385हे0 मालगुजारी स्थित ग्राम भद्दीखेडा
परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रुप में अंकित है।
प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन आदि
कोई कार्य नही किया जा रहा है, आस–पास आवासीय गतिविधिया विद्यमान है। फोटो ग्राफ्स संलग्न है। उक्त भूमि लखनऊ
महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नही है। अतः उक्त भूमि को धारा–80
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार मोहनलालगंज लखनऊ की उक्त आख्या से संतुष्ट होने के पश्चात् वाद दर्ज रजिस्टर कर " राजस्व अनुभाग–1
के शासनादेश संख्या–20.2024/402/एक–2024–1–1099/3514/2020–रा0–1 दिनांक 17.05.2024 के शासनादेश के बिन्दु
संख्या–2 में उल्लिखित है कि धारा–80 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि आवास एवं
शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अनापत्ति हेतु 30 दिन की समय
सीमा निर्धारित की गयी है। यदि 30 दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसे डीम्ड टू नो आब्जेक्शन मान कर निस्तारित
कर दिया जाएगा" के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण को नियमानुसार नोटिस जारी की गयी। अबतक कोई आपत्ति प्राप्त
नही हुई।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम भद्दीखेडा की उद्धरण खतौनी वर्ष 1427 से 1432 फसली के खाता
संख्या–00040 की प्रति इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क आन लाईन जनरेट निर्धारित शुल्क–5535
50रु./–के सापेक्ष आनलाईन चालान संख्या आर0ए0जे0 250122268 शुल्क 5536.00रु./जमा किया गया।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट
है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नही किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि
बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन नही हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई
विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

1130
20/2/26

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 08.12.2025 स्वीकार की जाती है। आवेदक
अनिल कुमार सिंह चौहान पुत्र सूबेदार सिंह निवासी बी 17 सेक्टर जी अलीगंज लखनऊ के आराजी मौजा ग्राम भद्दीखेडा की
खतौनी वर्ष 1427 से 1432 फसली में स्थित आराजी खाता संख्या–00040 पर अंकित गाटा संख्या–117 रकबा–0.4770हे. में से
रकबा–0.2385हे0 को आराजी (भूमि) को उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा–80(2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त भूमि का
प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जाता है। इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू–उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी
और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए
इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं,
समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रकिया में है, वह अंश
इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या पारित आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह घोषणा केवल
राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस
पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना–2031 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य,
कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा–82 उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006
के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगें। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर
अविधिक एवं फर्जी पाये जाते है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल–दरामद हेतु आदेश की एक
प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, मोहनलालगंज को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज लखनऊ

दिनांक: 11-12-2025

उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज लखनऊ

प्रार्थना पत्र देने की तारीख 6/2/26
सूचना पत्र पर सूचित करने की तिथि 20/2/26
प्रतिलिपि देने की तिथि 20/2/26
... शुल्क 10/-
... प्रमाणित छाया प्रति

प्रमाणित प्रतिलिपि
20/2/26

तैयार कर्ता ....
मिलन कर्ता .... प्रमाणित छाया प्रति
तिथि 20/2/26

न्यायालय उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज लखनऊ

नकल आदेश दिनांक–11.12.2025 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–टी802025077931 आवेदक का नाम–अनिल कुमार सिंह चौहान, अन्तर्गत धारा–80 अधिनियम उ0प्र0 राजस्व सहिंता 2006 ग्राम–भद्दीखेड़ा, तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ। निर्णीत दिनांक–11.12.2025

प्रयोगोपरान्त फोलियो निरस्त किया जाता है। फोटोकापी संलग्न है।

न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - लखनऊ, तहसील - मोहनलालगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025077931

आवेदक का नाम :- अनिल कुमार सिंह चौहान

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश पत्रक

ग्राम भद्दीखेडा

निर्णय

प्रार्थी अनिल कुमार सिंह चौहान पुत्र सूबेदार सिंह निवासी बी 17 सेक्टर जी अलीगंज लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि खाता संख्या-00040 पर अंकित गाटा संख्या-117 रकबा-0.4770हे. में से रकबा-0.2385हे0 मालगुजारी स्थित ग्राम भद्दीखेडा परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन आदि कोई कार्य नही किया जा रहा है, आस-पास आवासीय गतिविधिया विद्यमान है। फोटो ग्राफ्स संलग्न है। उक्त भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नही है। अतः उक्त भूमि को धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार मोहनलालगंज लखनऊ की उक्त आख्या से संतुष्ट होने के पश्चात् वाद दर्ज रजिस्टर कर " राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-20.2024/402/एक-2024-1-1099/3514/2020-रा0-1 दिनांक 17.05.2024 के शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित है कि धारा-80 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अनापत्ति हेतु 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है। यदि 30 दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसे डीम्ड टू नो आब्जेक्शन मान कर निस्तारित कर दिया जाएगा" के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण को नियमानुसार नोटिस जारी की गयी। अबतक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम भद्दीखेडा की उद्धरण खतौनी वर्ष 1427 से 1432 फसली के खाता संख्या-00040 की प्रति इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क आन लाईन जनरेट निर्धारित शुल्क-5535 50रु/-के सापेक्ष आनलाईन चालान संख्या आर0ए0जे0 250122268 शुल्क 5536.00रू./जमा किया गया।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नही किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन नही हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

1130
20/2/26

आदेश

तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 08.12.2025 स्वीकार की जाती है। आवेदक उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनिल कुमार सिंह चौहान पुत्र सूबेदार सिंह निवासी बी 17 सेक्टर जी अलीगंज लखनऊ के आराजी मौजा ग्राम भद्दीखेडा की खतौनी वर्ष 1427 से 1432 फसली में स्थित आराजी खाता संख्या-00040 पर अंकित गाटा संख्या-117 रकबा-0.4770हे. में से रकबा-0.2385हे0 को आराजी (भूमि) को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जाता है। इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रकिया में है, वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या पारित आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगें। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, मोहनलालगंज को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज लखनऊ

दिनांक: 11-12-2025

उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज (स्टाम्प)

आवेदन पत्र देने की तिथि 18/2/26
सूचना पत्र पर सूचित करने की तिथि 20/2/26
प्रतिलिपि देने की तिथि 20/2/26
प्रति शुल्क 10/-
... की नकल प्रमाणित छायाप्रति

सत्य प्रतिलिपि
20/2/26
प्रतिलिपिकार
... जिलाधिकारी/अधिकारी

तैयार कर्ता ...
मिलन कर्ता प्रमाणित छायाप्रति
तिथि 20/2/26

न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम,
श्रेणी मोहनलालगंज वाद स० 1234/15-16 कमलेश
कुमार आदि बनाम सरकार धारा 143 ज०वि० अधि०
ग्राम भदीखेड़ा नकल आदेश का अगं 23/01/2016

प्रयोगोपरान्त निरस्त किया जाता
है।

कार्या० जिलाधिकारी
राजस्व अभिलेखागार
लखनऊ

न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज, लखनऊ।

वाद संख्या- 123 / 15-16
कमलेश कुमार आदि बनाम सरकार
धारा- 143 ज0वि0अधि0
ग्राम- भददीखेडा

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही कमलेश कुमार पुत्र भगवानदीन व रामसुमिरन, राजेश पुत्रगण स्व0 बैजनाथ व श्रीमती रूपरानी पत्नी स्व0 बैजनाथ स्वयं व बहैसियत संरक्षिका मां अनूप कुमार ना0बा0 उम्र 11 वर्ष, अमित कुमार ना0बा0 उम्र 14 वर्ष, संदीप ना0बा0 उम्र 9 वर्ष पुत्रगण स्व0 बैजनाथ निवासीगण ग्राम छोटी सिर्स मजरा सिर्स परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमे अवगत कराया गया कि वादीय भूमि गाटा संख्या 118 / 0.101हे0 व 119 / 0.051हे0 कुल रकबा 0.152हे0 स्थित ग्राम भददीखेडा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ का संक्रमणीय भूमिधर मालिक कामिल व काबिज है। जिस पर खेती नही हो रही है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी के उपयोग मे नही लाई जा रही है। प्रार्थी द्वारा वादीय भूमि गाटा संख्या 118 / 0.101हे0 व 119 / 0.051हे0 कुल रकबा 0.152हे0 स्थित ग्राम भददीखेडा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से आख्या दिनांक 23.01.2016 प्राप्त की गई। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अपनी आख्या मे अवगत कराया गया कि प्रश्नगत वादीय भूमि गाटा संख्या 118 / 0.101हे0 व 119 / 0.051हे0 कुल रकबा 0.152हे0 स्थित ग्राम भददीखेडा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ का वादी संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। निर्माण कार्य किया जायेगा, मौके पर नीव भरी है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नोटिफाइड ग्राम की नही है। आख्या मे वादीय भूमि गाटा संख्या 118 / 0.101हे0 व 119 / 0.051हे0 कुल रकबा 0.152हे0 स्थित ग्राम भददीखेडा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई।

वाद दर्ज कर पक्षो को नोटिस निर्गत की गई। पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है। मौके पर नीव भरी है। अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर वादीय भूमि गाटा संख्या 118 / 0.101हे0 व 119 / 0.051हे0 कुल रकबा 0.152हे0 स्थित ग्राम भददीखेडा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीय भूमि गाटा संख्या 118 / 0.101हे0 व 119 / 0.051हे0 कुल रकबा 0.152हे0 स्थित ग्राम भददीखेडा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमो एवं मास्टर प्लान उसका प्रभाव नही होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य मे उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-144ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेगे। लेखपाल की अद्यतन आख्या मय नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगी। तहसीलदार मोहनलालगंज को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त वर्जित खाते / गाटे के सम्बन्ध मे एक नक्शा नजरी तैयार कराकर अभिलेखो के साथ रखवाये जिसमे उन गाटो को जो कृषि, बागवानी या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के प्रयोजनो के लिए काम मे नही लाये जा रहे है, अलग-अलग रगो मे दर्शाये। खाते मे प्रत्येक भाग के लिए देय मालगुजारी का भी विभाजन किया जाये कि वर्तमान पैमाइशी नक्शो और भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर उक्त प्रख्यापित भाग की हदबन्दी कराये। हदबन्दी का खर्चा आवेदक संक्रमणीय भूमिधर से नियत मद मे जमा कोष करवाये। तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 23.01.2016 आदेश का अंग रहेगी। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज
लखनऊ

प्रारूप—1

ग्राम:— भदीखेड़ा परगना:— निगोहां तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ

महोदय,

कृपया संलग्न श्री / श्रीमती कमलेश कुमार पुत्र भगवानदीन व रामसुमिरन, रामेश पुत्रगण, स्व. बैजनाथ आदि नि० छोटा सिंह के प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—143 ज0वि0 व भूमि व्यवस्था अधिनियम (नियम—135) का अवलोकन करने का कष्ट करे।

प्रश्नगत प्रकरण मे आख्या निम्नवत् है:—

क0सं0	जॉच बिन्दु	उत्तर
1.	आराजी की खाता संख्या, गाटा संख्या, रकबा व भू—राजस्व।	खाता संख्या— 08 रकबा— 0.152 हे० 2 किता गाटा संख्या— 118/0.101, 119/0.051 हे० भू—राजस्व—
2.	अभिलिखित कास्तकार का नाम / पिता का नाम व पता	कमलेश कुमार पुत्र भगवानदीन व रामसुमिरन, रमेश पुत्रगण, स्व. बैजनाथ आदि नि० छोटा सिंह
3.	कितने क्षेत्रफल पर निर्माण है तथा उसकी मालगुजारी क्या है,	लम्बाई— फुट— चौडाई— फुट— क्षेत्रफल— मालगुजारी—
4.	1359फ0 के खसरे मे दर्ज काश्तकार का नाम, पिता का नाम, जाति (खसरे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हो।)	संलग्न
5.	मौके के फोटोग्राफस	संलग्न
6.	जोत चकबन्दी आकार पत्र—45 मे दर्ज काश्तकार (प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हो।)	संलग्न
7.	वर्तमान मे प्रश्नगत भूमि की मौके पर स्थिति / स्वरूप क्या है,	संलग्न भूमि परती की रही है मौके पर भूमि खाली है
8.	विगत तीन वर्षों के खसरे मे भूमि पर कृषि होना दर्ज है या नही	आकृषिक (परती)
9.	वर्तमान खसरे मे भूमि पर क्या स्वरूप दर्ज है	परती
10.	मलगुजारी अब तक जमा है या नही प्रमाण स्वरूप रसीद लगाये।	जमा है।
11.	भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है या नही	
12.	लखनऊ महानगर योजना 2021 मे भूमि का भू उपयोग क्या दर्ज है।	नौबीकलां ग्राम के अन्तर्गत नहीं है।
13.	क्या निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गयी है यदि हॉ तो नियम—135 (6) के अनुसार क्या शुल्क जमा है यदि हां तो चालान संख्या व धनराशि।	जमा है।
14.	प्लाटिग के स्वीकृत मानचित्र की प्रति संलग्न करायें।	—
15.	क्या निर्माण उसी गाटे मे हुआ है जिसके लिए आवेदक अन्तर्गत धारा 143 किया गया है।	आकृषिक है।
16.	गैर के प्रयोजन घोषित करने के सम्बन्ध मे संस्तुति की जाती है अथवा नहीं।	[illegible] 118/0.101 है। 119/0.051 हे० [illegible] 0.152 हे० [illegible] नहीं हो रहे हैं [illegible] धारा 143 घोषित करने हेतु [illegible] संस्तुति की जाती है।
17.	सहखातेदार लखनऊ विकास प्राधिकार / राज्य सरकार को नोटिस जारी कर आपत्ति एवं सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दे।	—
18.	उपजिलाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर व मौके के फोटोग्राफ	—

ह0 [illegible] लेखपाल | ना0 तहसीलदार | तहसीलदार मोहनलालगंज | उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज

जॉच आख्या धारा 143 के अन्तर्गत प्रख्यापन हेतु प्रारूप नियम–135–धारा–143 ज0वि0अधि0
(संकाम्य अधिकार वाले भूमिधर द्वारा आकृषिक घोषित किये जाने हेतु)

ग्राम भट्टी खेड़ा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।

गांव का नाम	भूमिधर का नाम/पिता का नाम और निवासी स्थान	खाता खतौनी संख्या	खाते का क्षेत्रफल	मलगुजारी	गैर कृषि प्रयोजनो के लिए उपयोग मे लाये जाने वाले खाते का क्षेत्रफल		विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिए खाता या उसका कोई भाग काम में लाया गया हो।	विशेष विवरण (Remark)
					(क) गाटा संख्या	(ख) क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भट्टीखेड़ा	कमलेश कुमार पुत्र मुन्नालाल व राम सुमिरन, राजेश पुत्रगण [illegible] [illegible] श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] [illegible] पुत्र [illegible] कुमार [illegible] कुमार [illegible] संदीप [illegible] पुत्रगण [illegible] ग्रा० पो० निगोहां मोहनलालगंज जिला लखनऊ	08	0.806	23.35	118 119 कुलक्षेत्रफल	0.101 0.051 0.152 हे०	श्रीमानजी ग्राम भट्टी खेड़ा गाटा सं० 118 0.101, 119 0.051 रकबा 0.152 हे० में कमलेश कुमार पुत्र [illegible] [illegible] व राम सुमिरन, राजेश [illegible] [illegible] श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] [illegible] 0.152 हे० में कृषि कार्य नहीं हो रहा है आसपास [illegible] विद्यमान है [illegible] धारा 143 ज०वि०अधि० [illegible] संस्तुति की जाती है। Kuldeep [illegible] [illegible] क्षेत्र-सिंह	श्रीमानजी निर्माण कार्य किया जा [illegible] भूमि [illegible] सामने [illegible] भूमि [illegible] है। Kuldeep [illegible] क्षेत्र-सिंह

कार्यालय जिलाधिकारी राजस्व अभिलेखागार लखनऊ

23.1.16

Kuldeep [illegible] हा0 क्षेत्र-सिंह
लेखपाल

ना0 [illegible]
तहसीलदार

तहसीलदार
मोहनलालगंज

उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज

प्रतिलिपिकारी विभाग कार्यालय जिलाधिकारी
राजस्व अभिलेखागार
लखनऊ

[प्र]तिलिपि तैयार करने वालो का ना[म]
हस्ताक्षर........
[प्र]0 पत्र प्राप्त होने की तिथि....3/11/25
तैयार होने की तिथि....06/11/25
[दि]नाक....06/11/25
फोटो/...

3444
3/11/25

प्रमाणित प्रतिलिपि
06/11/25
राजस्व अभिलेखागार
कार्यालय जिलाधिकारी
लखनऊ

राजस्व अभिलेखागार
कार्यालय जिलाधिकारी
लखनऊ

3
13-

40224
06/9/15

न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर
मोहनलालगंज, लखनऊ

नकल निर्णय दिनांक - 12-3-2015
वाद संख्या - 192/14-15 U/S 143 ZALRAct, ग्राम [illegible]
पा० सिसेंडी तह० मोहनलालगंज
जिला लखनऊ
बेचालाल आदि VS सरकार
उपरोक्त निर्णय की छायाप्रति संलग्न है।
जोलिसो प्रयोगार्थ निर्गत किया जाता है।

न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी,मोहनलालगंज,लखनऊ।

वाद संख्या–192 /14–15
बेचालाल आदि बनाम सरकार
धारा– 143 ज0वि0अधि0
ग्राम–भद्दीखेडा

40224
06/9/25

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बेंचालाल, तोताराम व परीदीन पुत्रगण परमेश्वर निवासीगण लक्ष्मीनाथ खेडा मजरा सिर्स परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमे अवगत कराया गया कि वादी भूमि गाटा संख्या– 116/0.461हे0, 121/0.335हे0, 122/0.101हे0 कुल 3 किता रकबा 0.897हे0 स्थित ग्राम भद्दीखेडा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ पर खेती नही हो रही है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी के उपयोग मे नही लाई जा रही है। बल्कि अन्य उपयोगिता मे लाई जा रही है। प्रार्थी भूमि गाटा संख्या–116/0.461हे0, 121/0.335हे0, 122/0.101हे0 कुल 3 किता रकबा 0.897हे0 स्थित ग्राम भद्दीखेडा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अपनी आख्या मे अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। मौके पर भूमि खाली पडी है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नोटिफाइड ग्राम की नही है। गाटा संख्या के रकबे सरकारी भूमि नही है। सीमा सम्बन्धी विवाद नही है। भूमि का कोई वाद नही है। आख्या मे भूमि गाटा संख्या 116/0.461हे0, 121/0.335हे0, 122/0.101हे0 कुल 3 किता रकबा 0.897हे0 स्थित ग्राम भद्दीखेडा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई।

वाद दर्ज कर पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राप्त आख्या मे अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है मौके पर भूमि खाली पडी है। अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर वादीय भूमि गाटा संख्या 116/0.461हे0, 121/0.335हे0, 122/0.101हे0 कुल 3 किता रकबा 0.897हे0 स्थित ग्राम भद्दीखेडा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या के आधार भूमि गाटा संख्या 116/0.461हे0, 121/0.335हे0, 122/0.101हे0 कुल 3 किता रकबा 0.897हे0 स्थित ग्राम भद्दीखेडा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि कृषि,मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन,बागवानी आदि से भिन्न प्रयोजन अर्थात आवासीय परिसर विकसित करने हेतु उपयोग किए जाने के कारण धारा–143ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य मे उक्त भूमि पर कृषि,मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन,बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा–144ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेगे। आदेश की प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज एवं उपनिबन्धक मोहनलालगंज को वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज,
लखनऊ।

प्रतिलिपि तैयार करने वालो का नाम

हस्ताक्षर......

प्रा० पत्र प्राप्त होने की तिथि...... 06/9/25

तैयार होने की तिथि...... 12/9/25

दिनांक...... 14/09/2025

फोटो/....

प्रमाणित प्रतिलिपि

राजस्व अभिलेखागार [illegible]

कार्यालय लिपिकारी [illegible]

लखनऊ